पत्र संख्या–कारा/भवन–39/2011......418

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)।

प्रेषक,

राजीव वर्मा,
संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0),
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
गृह विभाग (कारा)।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0),
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 16-8-2016

विषयः– **राज्य योजना वित्तीय वर्ष–2016–17 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–050–भूमि, मांग सं0 22, उप शीर्ष–0102–केन्द्रीय/मंडल/उपकाराओं एवं अन्य भवनों के निर्माण हेतु भूमि (गृह कारा विभाग) विपत्र कोड–P 4070000500102 विषय शीर्ष–53 02–भू–अर्जन, के अन्तर्गत भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव अनुमंडल में उपकारा के निर्माण हेतु अर्जित की गई रैयती भूमि के लिए मुआवजा राशि का भुगतान हेतु ₹14,85,41,848 (चौदह करोड़ पचासी लाख एकतालीस हजार आठ सौ अड़तालीस रूपये) की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजना वित्तीय वर्ष–2016–17 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–050–भूमि, मांग सं0 22, उप शीर्ष–0102–केन्द्रीय/मंडल/उपकाराओं एवं अन्य भवनों के निर्माण हेतु भूमि (गृह कारा विभाग) विपत्र कोड–P 4070000500102 विषय शीर्ष–53 02–भू अर्जन, के अन्तर्गत भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव अनुमंडल में उपकारा के निर्माण हेतु अर्जित की गई रैयती भूमि के लिए मुआवजा राशि का भुगतान हेतु ₹14,85,41,848 (चौदह करोड़ पचासी लाख एकतालीस हजार आठ सौ अड़तालीस रूपये) की लागत पर, वित्त विभाग के संकल्प पत्र संख्या–90वि0(2) दिनांक–03.01.2008 की कंडिका 4(क) के आलोक में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

2. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, भागलपुर होंगे, जो वित्त विभाग के स्थायी अनुदेश ज्ञापांक–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998 के आलोक में राशि की निकासी जिला कोषागार, भागलपुर से करेंगे। राशि की निकासी कर व्यक्तिगत् लेखा खाता (पी0एल0 खाता) में जमा की जायेगी तथा नियमानुसार मुआवजा भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। मुआवजा भुगतान की पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी, भागलपुर की होगी।

3. उपर्युक्त स्वीकृत राशि ₹14,85,41,848 (चौदह करोड़ पचासी लाख एकतालीस हजार आठ सौ अड़तालीस रूपये) का व्यय राज्य योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–050–भूमि, मांग सं0 22, उप शीर्ष–0102–केन्द्रीय/मंडल/उपकाराओं एवं अन्य भवनों के निर्माण हेतु भूमि (गृह कारा विभाग) विपत्र कोड–P 4070000500102 विषय शीर्ष–53 02–भू–अर्जन, के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में बजट उपबंधित राशि के अधीन विकलनीय होगा।

4 इस योजना की आवंटित की गयी राशि का विचलन अन्यत्र नहीं किया जायेगा।

5. मुआवजा राशि का भुगतान ससमय करने का दायित्व जिला पदाधिकारी, भागलपुर का होगा, जो मुआवजा भुगतान समय सीमा के अंतर्गत करा कर आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र यथाशीघ्र समर्पित करेंगे।

F:\Letter Indi\Swikrityadesh for compensation for kahalgaon 09.06.2016.doc

(8)

6. मुआवजा राशि भुगतान की योजना के प्रस्ताव पर मुख्य (गृह) मंत्री तथा वित्त मंत्री द्वारा संचिका संख्या–कारा/भवन–39/2011 के टिप्पणी पृ0–31/टि0 पर दिनांक–04.08.2016 को एवं 29/टि0 पर दिनांक–28.07.2016 को क्रमशः स्वीकृति प्रदान की गयी है।

7. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–कारा/भवन–39/2011 के टिप्पणी पृ0– 33 /टि0 पर दिनांक– 10.08.16 को दी गई है।

8. स्वीकृत योजना के लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

9. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 वि0(2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में उक्त स्वीकृत्यादेश के आधार पर निकासी से पूर्व महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नही है।

विश्वासभाजन

16.8.16

संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)

ज्ञापांकः– कारा/भवन–39/2011......48 पटना, दिनांक –16-8– 2016

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भागलपुर एवं जिला पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16.8.16

संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)

ज्ञापांकः– कारा/भवन–39/2011......48 पटना, दिनांक –16-8– 2016

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संयुक्त निदेशक, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16.8.16

संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)